

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 586/2026

Mohammad Imran S/o Shri Mohammad Usman, Aged About 31
Years, Resident Of Nai Chandpole Road, Near Ganglavlalab,
Khandafalsa, Jodhpur, Rajasthan.

(Presently Lodged In Central Jail, Jodhpur)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Sapna Meghwal W/o Leeladhar, Resident Of Near
Dpscircle, Pal Gav, Boranada, Jodhpur City West,
Rajasthan.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Zeeshan Ali Mr. Aslam Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Ramniwas Haniya For R-2

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

05/05/2026

01. प्रत्यर्थी संख्या 2 के नोटिस की तामील हो चुकी है और उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।
02. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह दाण्डिक अपील अन्तर्गत धारा 14(ए)(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पुलिस थाना बोरानाड़ा, जिला जोधपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 19/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 64(1), 308(2), 351(2), 316(2), 115(2), 77, 78(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66(e), 67(a) आई.टी. एक्ट व धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता (483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 17.03.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।
03. बहस अपील पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
04. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में स्पष्ट रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक ही मामला सहमति से संबंध बनाने का है, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप पीड़िता ने लगाया

है। फोटो वायरल करने का आरोप अपीलार्थी/अभियुक्त पर नहीं है। अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस आधार पर दाण्डिक अपील स्वीकार कर अपीलार्थी/अभियुक्त को रिहा किये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए दाण्डिक अपील को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट व पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अवलोकन किया। पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्टतः सहमति से संबंध बनाने का मामला होना बताया है, परंतु शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप पीड़िता ने लगाया है। पुलिस द्वारा तफ्तीश में अपीलार्थी/अभियुक्त इमरान के मोबाइल में पीड़िता के फोटो व उसके साथ हुई चैटिंग के स्क्रीन शॉट के आधार पर मोबाइल आई फोन जब्त किया गया है। इस आधार पर आई.टी. एक्ट का आरोप लगाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

07. अतः इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति, तथ्यों, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस न्यायालय की राय में अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

08. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), जोधपुर महानगर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.03.2026 को अपास्त किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त **मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद उस्मान**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J